



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237815
CG-DL-E-02082022-237815

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]
No. 190]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

विदेश व्यापार महानिदेशालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

सार्वजनिक सूचना सं. 20/2015-2020

विषय: उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट-2ड. के तहत एजेंसी को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/28/एम-19/पी.सी-II(ख)/(ई-16025).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा उदगम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने हेतु निम्नलिखित एजेंसी को प्राधिकृत करते हैं:

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

डी2बी, भूतल, डी टावर, वेस्ट कोर,

भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051

दूरभाष: + 91-22-4226-3600

ई-मेल: ho@gjepcindia.com

वेबसाइट: www.gjepc.org

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम संख्या 35 (महाराष्ट्र) पर रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के नाम को शामिल किया जाता है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), मुंबई को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

(Department Of Commerce)

New Delhi, the 1st August, 2022

Public Notice No. 20 /2015-2020

Subject: Enlistment of an Agency under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 - authorized to issue Certificate of Origin (Non-preferential) – reg.

F. No. 01/93/180/28/AM-19/PC.II(B)/(E-16025).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes following agency to issue Certificate of Origin (Non Preferential):

Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)

D2B, Ground Floor, D Tower, West Core,

Bharat Diamond Bourse, Bandra- Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai – 400051

Tele no.: +91-22-4226-3600

E-mail: ho@gjepcindia.com

Website: www.gjepc.org

2. Accordingly, the name of Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) is added at Serial No. 35 (Maharashtra) of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP (2015-2020).

3. **Effect of this Public Notice:**

Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Mumbai is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-20 for issuing Certificate of Origin (Non Preferential).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade And Ex-officio ddl.Secretary